14.05.2025 पत्रावली पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। तहसीलदार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम कस्बा नीमकाथाना पटवार मण्डल नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2360 **रकबा 0.43 हैक्ट. किस्म चाही–2 मे से 0.05 हैक्ट., खसरा नम्बर 2359 रकबा 0.87 हैक्ट. किस्म चाही–2 मे से 0.05 हैक्ट., खसरा नम्बर 2939/2373 रकबा 0.14 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 2937/2372 रकबा 0.35 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.06 हैक्ट., खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.43 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0450 हैक्ट., खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.62 हैक्ट. किस्म चाही–1 में से 0.0350 हैक्ट., खसरा नम्बर 2467 रकबा 0.22 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.63 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0350 हैक्ट., खसरा नम्बर 2463 रकबा 0.39 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0250 हैक्ट., खसरा नम्बर 2459 रकबा 0.24 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0. 0250 हैक्ट., खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.58 हैक्ट. किस्म बारानी–1 में से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 2456 रकबा 0.53 हैक्ट. किस्म बारानी–3 में से 0.02 हैक्ट. में रास्ता कुल 08 मीटर चौड़ा व 540 मीटर लम्बाई कुल 4320 वर्ग मीटर का गै.मु.रास्ता हीरानगर मुख्य सड़क से ढाणी किशोरदास वाली तक** का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। प्रचलित रास्ते का प्रस्ताव, नगर परिषद्, नीमकाथाना का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। जनहीत के आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj... Yadav
Date: 2025.07.11 13:1...
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी भूमि में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित **प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस** आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:13:48 IST
Reason: SelfAttested